



कम्प्यूटर द्वारा जारी लाभपात्र पहचान कोड नं०

48490—S.J.&E.—Item No. 6—H.G.P., Chd.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा कश्मीरी विस्थापित परिवारों के लिये वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र

फोटो

जिला खण्ड/शहर ग्राम/वार्ड आवेदन तिथि

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पूर्ण स्थाई पता
4. वर्तमान पता
5. कश्मीर में रहने के समय परिवार के सदस्यों का विवरण

नाम

आवेदक के सम्बन्ध

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6. क्या आवेदक किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/ या किसी उद्यम में नौकरी कर रहा है/सेवानिवृत्त हुआ है ?
यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें।
.....
 हां नहीं
7. आवेदक किसी सरकारी/अर्ध सरकारी/स्थानीय निकाय/ बोर्ड/निगम/संगठन/कम्पनी, जिसमें किसी भी सरकार/ स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय निवेश/सहायता प्रदान की जाती है, से आय/पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है ?
 हां नहीं
8. परिवार की सभी साधनों से वार्षिक आय
(इसमें वेतन सभी प्रकार की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, पी०एफ० पर मिलने वाला ब्याज आदि भी शामिल है।)
9. जम्मू-कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा में कब से रह रहे हैं।
(विस्थापन का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

शपथ

मैं, श्री/श्रीमति/कुं पुत्र/पुत्री/पत्नी /श्री.....
निवासी

सत्यनिष्ठापूर्वक से घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिया गया विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास अनुसार ठीक एवं सत्य है। यदि मेरे द्वारा गलत तथ्य बताकर वित्तीय सहायता प्राप्त की गई, तो सरकार को मेरी सभी प्रकार की पेंशन/वित्तीय सहायता बन्द करने व 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की गई राशि को वसूल करने का अधिकार होगा।

सत्यपान (सम्बन्धित सरपंच/वार्ड पार्षद/राजपत्रित अधिकारी द्वारा)
नाम पद

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

जिला समाज कल्याण अधिकारी

स्वीकृत

अस्वीकृत

तिथि

हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र प्राप्ति रसीद

क्रमांक दिनांक

श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पिता/पत्नी निवासी

..... से दिनांक को कश्मीरी विस्थापित

परिवारों के लिए वित्तीय सहायता हेतु फार्म प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

जिला समाज कल्याण अधिकारी